Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09.09.2023	**प्रकरण नेशनल लोक अदालत की खंडपीड कं 14 के समक्ष प्रस्तुत।** राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.। अभियुक्त शेरू उर्फ धर्मदास पूर्व से फरार स्थाई वारंट जारी। अभियुक्तगण रोहित एवं आकाश गुप्ता द्वारा अधिवक्ता श्री राजेश श्रीवास्तव सीनियर। अधिवक्ता श्री राजेश श्रीवास्तव सीनियर द्वारा दो आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 (1) व (2) दं.प्र.सं. प्रस्तुत किये गये है। फरियादी/आहत के राजीनामा कथन अंकित किये गये। आवेदन पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्तगण रोहित एवं आकाश गुप्ता के विरूद्ध धारा 294, 323, 323/34, 506 भाग दो भा0द0स0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के सबंध में विचारण किया जा रहा है। उक्त अपराधों में धारा 323 भा0द0स0 दंड प्रकिया संहिता की धारा 320(1) में दिये गये सारणी के कॉलम न0 तीन के अनुसार उस व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गयी है के द्वारा शमनीय है। जिसमें न्यायालय की अनुमति अनिवार्य है। दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2019 दिनांक 07.07.2022 से संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावी हो गया है। उक्त अधिनियम की धारा 10 द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 320 में संशोधन करते हुये धारा 294, 506 भाग दो, 147 एवं 498ए को शमनीय बनाया गया है। भा.दं.सं. की धारा 294 एवं 506 भाग दो उक्त संशोधन अधिनियम के द्वारा पूर्व में मध्यप्रदेश राज्य द्वारा किये गये संशोधन के बाद नवीन संशोधन के माध्यम से पुनः शमनीय बनाई गई है। उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में समझौता हेतु आवेदन उक्त संशोधन के उपरांत आज दिनांक 09.09.2023 को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण रोहित एवं आकाश गुप्ता के विरूद्ध जिन अपराधों अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 323/34, 506 भाग दो भा0द0स0 का विचारण किया जा रहा है जिनमें से धारा 294 एवं 506 भाग दो दिनांक 07.07.2022 से भूतलक्षी प्रवर्तन के कारण दं.प्र.सं. की धारा 320 के अनुसार शमनीय हो गये हैं।	

Order Sheet [Contdl

RCT/432/2023
CaseNo.....of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	उभय पक्ष द्वारा स्वेच्छा बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध शमन करना व्यक्त किया गया है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए फरियादी/आहत के द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (1) एवं (2) द0प्र0सं0 को स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजित अपराध अंतर्गत अभियुक्त रोहित एवं आकाश गुप्ता के विरूद्ध धारा 294, 323, 323/34, 506 भाग दो भा0द0स0 के अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। फलतः अभियुक्तगणः—**01. रोहित राजपूत पिता खुमान सिंह राजपूत, उम्र 24 वर्ष, निवासी मेहरागांव कलां थाना बरेली जिला रायसेन म.प्र., 02. आकाश गुप्ता पिता लक्ष्मीनारायण गुप्ता, उम्र 23 वर्ष, निवासी किनगी रोड बरेली थाना बरेली जिला रायसेन म.प्र.** को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 323/34, 506 भाग दो भा0द0स0 के अधीन दण्डनीय अपराध मे दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत एवं बंधपत्र उन्मोचित किये जाते हैं। अभियुक्त आकाश गुप्ता द्वारा प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण के दौरान दिनांक 19.08.2023 से दिनांक 21.08.2023 तक कुल दो दिवस न्यायिक अभिरक्षा में रहा है एवं अभियुक्त रोहित राजपूत इस प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में नही रहा है। उक्त संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 428 के अंतर्गत प्रमाण पत्र निर्मित कर संलग्न किये जाये। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण के पृष्ठ भाग पर लाल स्याही से प्रकरण में अन्य अभियुक्त शेरू उर्फ धर्मदास फरार है अतः अभिलेख सुरक्षित रखे जाने की टीप अंकित कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे। सदस्य (श्री के.एल. धाकड़) (जय कुमार जैन) पीठासीन अधिकारी नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ कं. 14 बरेली, जिला रायसेन म0प्र0	